न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)
मिसल नं. ::: 104 / 2017
सरकार बनाम जलेसिंह पुत्र श्योकरण, जाति–जाट, निवासी– ढ़ाणी श्योराणी

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 26.09.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल जलेसिंह पुत्र श्योकरण, जाति–जाट, निवासी– ढ़ाणी श्योराणी द्वारा रोही मौजा ढ़ाणी श्योराणी की राजकीय भूमि ख.नं. 288 के कुल रकबा 3.31 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर पत्थर डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उसने कोई भी अतिक्रमण व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नही कर रखा है। गांव के गणमान्य व्यक्तियों के कहने पर श्मसान भूमि के नजदीक टीन शैड बनवाने के लिए पानी की टंकी व टीन शैड के लिए पत्थर डलवाये है। यह सार्वजनिक हित है। इस पर जांच भू.अ.नि. देवरोड़ से करवाई है। भू.अ.नि. ने अपनी जांच रिपोट में गैर सायल के जवाब की ताकीद की है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। कानूनन प्रतिबन्धित राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में वैध नही ठहराया जा सकता, चाहे उसमें किसी की सहमती ही क्यों न हो। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायला को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बनवारी लाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 36 पर
वर्ष 2017-18 में रूपये 15/- कायम किए
राजस्व लेखाकार